उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
(उ0प्र0सरकार का उपक्रम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल,शक्ति भवन विस्तार,14–अशोक मार्ग, लखनऊ
दूरभाष सं0: 0522–2287868, फैक्स सं0: 0522–2287834
ई–मेल : cecomuppcl@gmail.com वेबसाईट– www.uppcl.org

अतिमहत्वपूर्ण
ई–मेल / डाक

पत्रांक: 161 /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/सी0यू0–दो/बुनकर दिनांक: फरवरी, 15, 2018

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2018 को पावरलूम बुनकर टैरिफ सब्सिडी एवं विभिन्न सरकारी विभागों पर लम्बित विद्युत देयता के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल / पूर्वान्चल / पश्चिमॉचल / दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर

महोदय,

कृपया विषयोक्त के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, ऊर्जा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 326/24–1–18–1826/2017 दिनांक 05.02.2018 की छायाप्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा

प्रतिलिपिः– निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2018 को पावरलूम बुनकर टैरिफ सब्सिडी एवं विभिन्न सरकारी विभागों पर लम्बित विद्युत देयता के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त :–

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. पं0 श्रीकांत शर्मा, माननीय ऊर्जा मंत्री।
2. श्री सत्यदेव पचौरी, माननीय मंत्री, खादी उद्योग विभाग।
3. श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
4. श्री आर0पी0 सिंह, अपर मुख्य सचिव, ए0पी0सी0 एवं बेसिक शिक्षा विभाग।
5. श्री मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव, हथकरघा व वस्त्रोद्योग विभाग।
6. श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
7. श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0शासन।
8. श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
9. श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0शासन।
10. श्री रमा रमण, आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा व वस्त्रोद्योग विभाग,उत्तर प्रदेश।
11. श्रीमती अपर्णा यू0, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0।
12. श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया, सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
13. श्री विशाल भारद्वाज, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
14. श्री राजमणी यादव, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।
15. श्री राजेश मित्तल, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
16. श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0।
17. श्री ए0के0गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0।

विभिन्न सरकारी विभागों के लम्बित विद्युत देयों तथा बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिन्दुओं पर ऊर्जा विभाग की ओर से एक प्रस्तुतीकरण किया गया। पूरे देश में सर्वाधिक विद्युत देय उत्तर प्रदेश में लम्बित हैं, जिसकी देयता 31 मार्च, 2017 तक रू0 8,853 करोड़ थी, जिसके 31 मार्च, 2018 तक बढ़कर रू0 10,756 करोड़ हो जाने की सम्भावना है। 'उदय योजना' के अन्तर्गत राज्य सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि सभी सरकारी विभागों द्वारा विद्युत देयों का समय से पूर्ण भुगतान किया जायेगा। परन्तु सितम्बर, 2017 तक जहाँ सकल राजस्व वसूली दक्षता 87 प्रतिशत थी वहीं सरकारी देयों की राजस्व वसूली दक्षता मात्र 51 प्रतिशत रही। ऊर्जा विभाग की ओर से यह कठिनाई प्रस्तुत की गयी

कि विद्युत देयों के लम्बित भुगतान के कारण कैश गैप बढ़ने से विद्युत उत्पादन कम्पनियों को समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आगामी ग्रीष्म ऋतु में माँग के अनुसार विद्युत आपूर्ति करने में कठिनाई आ सकती है। अतः ऊर्जा विभाग की ओर से यह अनुरोध किया गया कि सभी सरकारी विभागों द्वारा न केवल चालू वित्तीय वर्ष की देयता के सापेक्ष शत–प्रतिशत भुगतान 31 मार्च, 2018 तक सुनिश्चित कराया जाये बल्कि साथ–साथ पिछले वर्षो के एरियर के सापेक्ष भी कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान विद्युत वितरण निगमों को मार्च, 2018 तक कराया जाय।

2– माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि सभी विभागों को शासन की वचनबद्धता के अनुरूप लम्बित विद्युत बिलों के भुगतान समय से सुनिश्चित कराने होंगे। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग को यह निर्देश दिये गये कि विद्युत वितरण निगमों द्वारा सरकारी विभागों/संस्थाओं के विद्युत उपभोग के सापेक्ष सही बिल समय से उपलब्ध कराया जाय।

3– बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सभी सरकारी विभाग चालू वित्तीय वर्ष में विद्युत बिलों के सापेक्ष लम्बित बिलों का भुगतान इसी वर्ष कराना सुनिश्चित करें और इसके लिये आवश्यकतानुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से बजट की व्यवस्था की जाय। वित्त विभाग को भी यह निर्देश दिये गये कि वे पिछले वर्षो के एरियर के सापेक्ष भुगतान चरणों में करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें और एरियर के सापेक्ष अधिक से अधिक भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किये जाने की कार्यवाही की जाय।

4– **प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग** ने आश्वस्त किया कि वे चालू वित्तीय वर्ष की पूर्ण देयता के सापेक्ष बिलों का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में करायेगें और इसके लिये आवश्यकतानुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से बजट व्यवस्था कर ली जायेगी। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि ऊर्जा विभाग कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के फीडरों के पृथक्कीकरण करने की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करायें।

5– **प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग** ने अवगत कराया कि इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने मार्ग प्रकाश एवं जलकल मद में रू0 595 करोड़ तथा जल संस्थान मद में रू0 36 करोड़ का भुगतान किया है। इसके साथ ही नदी प्रदूषण मद में भी रू0 52 करोड़ का भुगतान हुआ है। बैठक में चर्चा के उपरान्त नगर विकास विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे इस वित्तीय वर्ष में जल संस्थान मद में पूर्ण देयता के सापेक्ष अवशेष रू0 200 करोड़ तथा मार्ग प्रकाश एवं जलकल मद में वर्तमान वर्ष की पूर्ण देयता के सापेक्ष अवशेष लगभग रू0 200 करोड़, कुल रू0 400 करोड़ का भुगतान और करा देगें। नगर विकास विभाग की ओर से ऊर्जा विभाग से अनुरोध किया गया कि वे जहाँ–जहाँ एल0ई0डी0 लाइटिंग लगायी जा चुकी है वहाँ–वहाँ वास्तविक विद्युत उपभोग के सापेक्ष बिल दिये जाने चाहिये। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा मार्ग प्रकाश संयोजनों को मीटर कराए जाने हेतु पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराने की सहमति दी। वर्तमान में 533 टाउनों के लिए रू0 415.03 करोड़ की आवश्यकता है। प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने आश्वासन दिया कि नगर विकास विभाग द्वारा जहाँ कहीं मीटरिंग की व्यवस्था करा दी जाती है वहाँ वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल दिये जायेगें।

6— **प्रबन्ध निदेशक, जल निगम** ने बताया कि उनके लम्बित विद्युत बिल ग्रामीण पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है और शासन स्तर से भुगतान किया जाना है। बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि इस मद में लम्बित बिलों तथा भविष्य के सभी बिलों का भुगतान स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में अधिकाधिक जल संयोजन देकर यूजर–चार्जेज से प्राप्त धनराशि में से किया जाना होगा। जल निगम का उत्तरदायित्व होगा कि वे विद्युत विभाग को समय से भुगतान सुनिश्चित करें। तत्क्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त से अनुरोध किया गया कि वे इस सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के स्तर से आवश्यक निर्देश शीघ्र निर्गत करा दें।

7— **बेसिक शिक्षा विभाग** द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूल के लम्बित विद्युत बिलों लगभग रू0 333 करोड़ की देयता पर गहन विचार विमर्श हुआ जिसके उपरान्त निम्नलिखित कार्यवाही के निर्देश दिये गये :–

(i) वर्तमान वित्तीय वर्ष में बेसिक शिक्षा विभाग पुर्नविनियोग के माध्यम से यथासम्भव विद्युत बिलों की देयता के सापेक्ष धनराशि उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेंगें

(ii) रेग्युलर व्यवस्था के रूप में स्कूलों के विद्युत बिलों का भुगतान ग्रामीण निधि से सुनिश्चित कराया जाय, जिसके लिये पंचायती राज विभाग शीघ्र स्पष्ट आदेश निर्गत करायेगें कि पेयजल, शौचालय के साथ विद्यालयों के बिजली बिलों का भी ग्राम निधि से भुगतान किये जाने को वरीयता दी जायेगी।

8— सरकारी कार्यालयों के विद्युत देयता को सीमित रखने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्तमान शासनादेश के अन्तर्गत लखनऊ व गाजियाबाद जनपदों में स्थिति सरकारी कार्यालयों में प्री–पेड मीटर लगाये जाने की व्यवस्था को विस्तारित कर प्रदेश के सभी नगर निगम वाले शहरों में लागू कर दिया जाये।

9— पावरलूम बुनकरों को दी जाने वाली अनुदान की लम्बित लगभग रू0 2,903 करोड़ की धनराशि के सम्बन्ध में चर्चा हुई, जिसमें इस प्रस्ताव पर सहमति बनी कि बजट में उपलब्ध अनुदान की धनराशि के दृष्टिगत हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग प्रति लूम प्रतिमाह विद्युत यूनिटों की खपत के नार्म्स निर्धारित कर छूट की धनराशि का निर्धारण कर देंगें और यह धनराशि सम्बन्धित पावरलूम यूनिट को डी0बी0टी0 के माध्यम से हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा इस व्यवस्था को 01 अप्रैल, 2018 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा, जिसके लिये आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा एक माह की अवधि में सभी पावरलूम बुनकरों का सर्वे कराया जाय, जिसमें उनके बैंक खातों का विवरण भी प्राप्त किया जाय। सर्वे में विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा डी0बी0टी0 व्यवस्था को संचालित करने के लिये उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपनी बिलिंग साफ्टवेयर पर आधारित साफ्टवेयर विकसित करा दिया जाय। डी0बी0टी0 व्यवस्था लागू होने की दशा में विद्युत वितरण निगम निर्धारित टैरिफ पर पूर्ण बिल की वसूली करेंगें और शासकीय अनुदान पावरलूम इकाई के खाते में सीधे जायेगी।

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–1
संख्या : 326/24–1–18–1826/2017
लखनऊ :: दिनांक :: 05 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, खादी उद्योग विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
4. ए0पी0सी0 एवं अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव, हथकरघा व वस्त्रोद्योग विभाग।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
8. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0शासन।
9. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा व वस्त्रोद्योग विभाग,उत्तर प्रदेश।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0।
11. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
12. अपर निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
13. विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।
14. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
15. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0।
16. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0।
17. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0शासन।
18. ऊर्जा अनुभाग–2, 3 एवं निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
संयुक्त सचिव